Supplement—II Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 41-2015] CHANDIGARH, TUESDAY, OCTOBER 13, 2015 (ASVINA 21, 1937 SAKA)

General Review

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा की वर्ष 2013–2014 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

क्रमांक 932A-SW(1)2015.— दिनांक 17 सितम्बर, 2015

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा के लिए वर्ष 2013–2014 में स्टेट प्लान (16000.00 लाख रुपये), केन्द्रीय प्रायोजित (14083.25 लाख रुपये), विशेष केन्द्रीय सहायता (1747.50 लाख रुपये) तथा नान प्लान (14795.86 लाख रुपये) योजनाओं के लिए कुल निर्धारित राशि 46626.61 लाख रुपये थी। उपरोक्त निर्धारित राशि में से 32303.43 लाख रुपये की राशि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष राज्य प्लान (12255.31 लाख रुपये), केन्द्रीय प्रयोजक प्लान (5193.95 लाख रुपये), विशेष केन्द्रीय सहायता (1366.00 लाख रुपये) तथा नान प्लान स्कीम (13488.17 लाख रुपये) में खर्च की गई।

2. स्टेट प्लान, केन्द्रीय प्रयोजक, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा नान प्लान स्कीमों का सारांश इस प्रकार है :–

(क) राज्य प्लान स्कीमें

(1) "अनुसूचित जातियों को मकान बनाने/मुरम्मत हेतु डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास योजना" के अन्तर्गत 2433.60 लाख रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में 5100 लाभपात्रों को प्रदान की गई।

(2) टपरीवास एवं विमुक्त जातियों के लिए मकान निर्माण/मुरम्मत हेतु डॉ0 बी0 आर0 अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत 186.20 लाख रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में 378 लाभपात्रों को प्रदान की गई।

(3) हरियाणा पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम को इस वर्ष के दौरान शेयर कैपिटल के रूप में 125.00 लाख रुपये की राशि तथा प्रशासकीय खर्च को जुटाने हेतु 350.00 लाख रुपये अनुदान के रूप में दिए गए।

(4) "अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग की विधवाओं/निराश्रित महिलाओं तथा गरीब लड़कियों को सिलाई प्रशिक्षण" योजना के अन्तर्गत 64.71 लाख रुपये की राशि 1925 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने पर खर्च की गई।

(5) इन्दिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अन्तर्गत 6626.20 लाख रुपये की राशि 25695 लाभपात्रों को वर्ष 2013–14 में प्रदान की गई।

(6) वर्ष 2013–14 में "हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम" को प्रशासकीय खर्च जुटाने हेतु 650.00 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी गई है।

(7) वर्ष 2013–14 में डॉ0 अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के अन्तर्गत 1554.34 लाख रुपये की राशि 19506 (10740 अनुसूचित जाति एवं 8766 पिछड़ा वर्ग) छात्रों को प्रदान की गई ।

(8) सूचना प्रौद्योगिकी स्कीम के अन्तर्गत 12.33 लाख रुपये की राशि वर्ष 2013–14 में खर्च की गई।

(9) अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों के बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के माध्यम से टंकण तथा डाटा एन्ट्री में कौशल स्कीम पर 19.63 लाख रुपये की राशि वर्ष 2013–14 में 180 युवकों को प्रशिक्षण देने हेतु खर्च की गई।

(10) अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 0.59 लाख रुपये की राशि 08 अनुसूचित जाति की लड़कियों को प्रदान की गई है।

(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

(1) भारत सरकार की "पोस्ट मैट्रिक स्कोलरशिप स्कीम" के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 14965.00 लाख रुपये (10600.41 लाख नान प्लान तथा 4364.59 लाख केन्द्रीय हिस्सा) 76969 अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रदान की गई।

(2) भारत सरकार की अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 1187.38 लाख रुपये (582.40 लाख नान प्लान तथा 604.98 लाख केन्द्रीय हिस्सा) की राशि 51380 पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की गई।

(3) ''पी.सी.आर. एक्ट 1955'' तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989'' के परिपालन हेतु मशीनरी के अन्तर्गत स्कीमें :–

(क) कानूनी सहायता स्कीम

वर्ष 2013–14 में कानूनी सहायता स्कीम के अन्तर्गत 4.08 लाख रुपये (2.04 लाख राज्य प्लान व 2.04 लाख रुपये केन्द्रीय प्रायोजित) की राशि 74 लोगों को प्रदान की गई।

(ख) अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना

इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 264 नव विवाहित जोड़ों को 132.00 लाख रुपये (66.00 लाख रुपये प्लान तथा 66.00 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी गई।

(ग) छुआछूत दूर करने हेतु पंचायतों को पुरस्कार, स्कीमों का प्रचार तथा डिबेटस व सेमिनार

इस स्कीम के अन्तर्गत इस वर्ष 93.14 लाख रुपये (46.57 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 46.57 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि खर्च की गई। जिसमें से 86.50 लाख रुपये (43.25 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 43.25 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 173 पंचायतों को पुरस्कार के रूप में तथा 0.94 लाख रुपये (0.47 लाख रुपये स्टेट प्लान तथा 0.47 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि स्कीमों के प्रचार पर खर्च की गई। 5.70 लाख रुपये (2.85 लाख रुपये स्टेट प्लान व 2.85 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 57 डिबेटस एवं सेमिनार पर खर्च की गई।

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989)के अन्तर्गत अत्याचारों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना

अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने की योजना के अन्तर्गत 219.54 लाख रुपये (109.77 लाख रुपये प्लान तथा 109.77 लाख रुपये केन्द्रीय सहायता) की राशि 429 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदान की गई।

(ग) विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम

वर्ष 2013–14 में विशेष केन्द्रीय सहायता स्कीम के अन्तर्गत 866.00 लाख रुपये की राशि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को भिन्न–भिन्न आय उपार्जन स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक विकास हेतु प्रदान की गई, हरियाणा ऊर्जा विकास एजैन्सी को 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों में एस0पी0वी0 स्ट्रीट लाईटिंग सिस्टम की स्थापना हेतु 500 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रशिक्षणार्थियों को विशेष प्रशिक्षण देने तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने हेतु 345.24 लाख रुपये की राशि अलाट की गई जो कि उन द्वारा अपने लेखा शीर्ष से उपलब्ध करवाई गई।

(1) अनुसूचित जाति उप योजना(SCSP)

भारत सरकार, योजना आयोग के दिशानिर्देशानुसार, अनुसूचित जाति उप–योजना के अन्तर्गत उन स्कीमों को शामिल किया जाता है जिनसे अनुसूचित जातियों को सीधा लाभ पहुंचता है। इसके अन्तर्गत न्युनतम सेवायें क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, न्यूट्रिशन, ग्रामीण आवास, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण बिजली, कृषि और अन्य सम्बन्धित कार्यों पर प्राथमिकता प्रदान करना है। राष्ट्रीय नीतिगत अनुसार 40 प्रतिशत एवं उससे अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले गांवों पर ढांचागत कार्य को किया जाना है। वर्ष 2013–14 में राज्य की वार्षिक योजना का कुल खर्च 13929.96 करोड़ रुपये था, जिसमें से 2401.65 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति–उपयोजना के अन्तर्गत खर्च किए गए थे (अर्थात् अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा 17.24 प्रतिशत राशि खर्च की गई थी)।

(घ) नान प्लान स्कीमें

(1) अस्वच्छ कार्यों अर्थात् शुष्क शौचालयों की सफाई करना, चमड़ा रंगना, खाल उतारना सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए व्यक्तियों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के लिए वर्ष 2013–14 में 7.97 लाख रुपये की राशि 480 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में दी गई।

(2) विभाग द्वारा चलाये जा रहे है पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों में अनुसूचित जाति के बच्चों को टाईप तथा शार्टहैण्ड का प्रशिक्षण देने हेतु वर्ष 2013–14 में 84.77 लाख रुपये की राशि 120 प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की गई।

(3) वर्ष 2013–14 में विमुक्त जाति के छात्रों के लिए जीन्द में स्थापित छात्रावास में रहने वाले छात्रों पर 16.54 लाख रुपये की राशि 26 छात्रों पर उनको होस्टल सुविधा प्रदान करने हेतु खर्च की गई।

(4) हरियाणा द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अमले को वेतन तथा भत्ते देने के लिए 166.25 लाख रुपये की राशि वर्ष 2013–14 में खर्च की गई।

(5) उपरोक्त स्कीमों की परिपालना हेतु निदेशालय, जिलों/तहसीलों आदि में नियुक्त अमले के वेतन तथा भत्तों पर वर्ष 2013–2014 में 2038.16 लाख रुपये की राशि (2029.83 लाख रुपये नान प्लान साईड पर और 8.33 लाख रुपये प्लान साईड) खर्च की गई।

3 यह प्रशासनिक रिपोर्ट अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा का वर्ष 2013–2014 की स्कीमों का वर्णन करती है। इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले पृष्ठों में भिन्न–भिन्न स्कीमों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। यद्यपि राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कई स्कीमें शुरू की हैं परन्तु उन्हें दूसरे वर्गों के बराबर लाने के लिए और अधिक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है और आने वाले वर्षों में विभाग इसके लिए और अधिक दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करेगा।

4. इस रिपोर्ट की समीक्षा को सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाए तथा इस रिपोर्ट की प्रतियां भारत सरकार को तथा अन्य सम्बन्धित कार्यालयों को भेज दी जाएं।

कुमार सुनील गुलाटी,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
अनुसूचित जातियॉ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 30 जुलाई, 2015

Review of the Annual Administrative Report of the Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Department, Haryana for the year 2013-2014.

No. 932(A)-SW(1)2015.— The 17th September, 2015

During the year 2013–2014, a sum of Rs. 46626.61 lacs was allocated under State Plan (Rs. 16000.00 lacs), Centrally sponsored Plan (Rs. 14083.25 lacs), Special Central Assistance (Rs. 1747.50 lacs) and Non-Plan Schemes (Rs. 14795.86 lacs) for the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department. During this period, against the above allocation, Rs. 32303.43 lacs were utilised under different schemes of State Plan (Rs. 12255.31 lacs), Centrally Sponsored Plan (Rs. 5193.95 lacs), Special Central Assistance (Rs. 1366.00 lacs) and Non-Plan Schemes (Rs. 13488.17 lacs).

2. A summary of State Plan, Centrally Sponsored Plan, Special Central Assistance and Non-Plan Schemes is as under:-

A. STATE PLAN SCHEMES

(i) An amount of Rs. 2433.60 lacs was provided as financial assistance to 5100 beneficiaries belonging to Scheduled Castes for construction/repair of houses under the"Dr. B. R. Ambedkar Aawas Yojna".

(ii) An amount of Rs. 186.20 lacs was provided as financial assistance to 378 beneficiaries belonging to Tapriwas and Vimukt Jatis for construction/repair of houses under the "Dr. B. R. Ambedkar Aawas Yojna".

(iii) During this year, an amount of Rs. 125.00 lacs was provided as share capital to Haryana Backward Classes and Economically Weaker Sections Kalyan Nigam and an amount of Rs. 350.00 lacs was provided as administrative subsidy to bear administrative expenses.

(iv) An amount of Rs. 64.71 lacs was utilised for providing training to 1925 Scheduled Castes/ Backward Classes trainees under the Scheme "Tailoring Training to Scheduled Castes/Backward Classes Widows / Destitute Women/ Girls ".

(v) Under the Scheme of "Indira Gandhi Priya Darshini Viwah Shagun Yojna", an amount of Rs. 6626.20 lacs was disbursed to 25695 beneficiaries during the year 2013-14.

(vi) An amount Rs. 650.00 lacs was given as subsidy to bear administrative expenses to "Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation" during the year 2013-14.

(vii) An amount of Rs. 1554.34 lacs was disbursed to 19506 Students (10740 Scheduled Castes and 8766 Backward Classes) under "Dr. Ambedkar Medhavi Chhattra Yojna" during the year 2013-14.

(viii) Under the Scheme of Information Technology an amount of Rs. 12.33 lacs was utilised during the year 2013-14.

(ix) An amount of Rs. 19.63 lacs was utilised for providing training to 180 youths under the Scheme of Up gradation of the Typing and Data Entry Skills of the SC/BC Unemployed youth through Computer's during the year 2013-14.

(x) An amount of Rs. 0.59 lacs was disbursed to 8 SC girl students under the "Scheme of Anusuchit Jati Chhatra Uchch Shiksha Protsahan Yojna" during the year 2013-14.

B. CENTRALLY SPONSORED SCHEMES

(i) An amount of Rs. 14965.00 lacs (Rs. 10600.41 lacs Non-Plan and Rs. 4364.59 lacs Central Share) was disbursed to 76969 Scheduled Castes Students under the Centrally Sponsored Schemes of "Post-Matric Scholarship for SC students" during the year 2013-14.

(ii) An amount of Rs. 1187.38 lacs (Rs. 582.40 lacs Non Plan and Rs. 604.98 lacs Central Share) was disbursed as scholarship to 51380 Backward Classes students under the Scheme of "Post-Matric Scholarship Scheme for O.B.C students".

(iii) Schemes under Machinery for the Implementation of P.C.R. Act, 1955 and Scheduled Caste and the Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act, 1989: -

(a) Legal Assistance :-

An amount of Rs. 4.08 lacs (Rs. 2.04 lacs Plan & 2.04 lacs Central Assistance) was disbursed to 74 persons under the "Legal Aid Scheme", during the year 2013-14.

(b) Incentive for Inter-Caste Marriage :-

Under this scheme, an amount of Rs. 132.00 lacs (Rs. 66.00 lacs State Plan and Rs. 66.00 lacs Central assistance) was disbursed to 264 newly wedded couples as incentive.

(c) Award to Panchayats for Removal of Untouchability, **Publicity of Schemes, Debates and Seminars:-**

Under this scheme, an amount of Rs. 93.14 lacs (Rs. 46.57 lacs on State Plan side and Rs. 46.57 lacs from Central assistance) was utilised during this year. Out of this, an amount of Rs. 86.50 lacs (Rs. 43.25 lacs State Plan and Rs. 43.25 lacs Central assistance) was given to 173 Panchayats for their outstanding work and Rs. 0.94 lacs (Rs. 0.47 lacs on State Plan and Rs. 0.47 lacs from Central assistance) was spent on publicity of schemes and Rs. 5.70

lacs (Rs. 2.85 lacs from State Plan and Rs. 2.85 lacs from Centrally Sponsored Plan) was spent on 57 Debates and Seminars.

(d) Monetary relief to the victims of atrocities under Scheduled Castes & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.

An amount of Rs. 219.54 lacs (Rs. 109.77 lacs State Plan and Rs. 109.77 lacs from Central assistance) was paid to 429 persons under this Scheme.

C SPECIAL CENTRAL ASSISTANCE SCHEME

Under the Special Central Assistance Scheme, a sum of Rs. 866.00 lacs was given to Haryana Scheduled Castes Finance and Development Corporation for the economic development of Scheduled Castes under various income generating schemes, Rs. 500 lakhs was provided to Haryana Renewable Energy Development Agency for the establishment of S.P.V. street lighting system in the villages having 50% or more Scheduled Castes population and Rs. 345.24 lacs were allocated to the Industrial Training Department for organizing special training for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and upgradation of I.T.I.s. which was drawn from their own account head, during the year 2013-2014.

SCHEDULED CASTE SUB PLAN (SCSP)

According to guidelines of the Government of India, Planning Commission, only those schemes are covered under SCSP, which ensure direct benefit to Scheduled Castes and priority should be given for providing basic minimum services like primary education, health, drinking water, nutrition, rural housing, rural link roads, rural electrification, agriculture and allied activities. As a part of national strategy, the villages having 40% and above Scheduled Castes population are being saturated first and provided with the infrastructure. The funds should be earmarked according to the proportion of SC population of the State population. During the year 2013-14, a sum of Rs. 2401.65 crore was spent under SCSP, out of the total state plan expenditure Rs. 13929.96 crores i.e. expenditure is 17.24 percent by all departments concerned with SCSP.

D NON PLAN SCHEMES

(i) An amount of Rs. 7.97 lacs was disbursed as scholarship to 480 students under the Scheme of "Pre-Matric Scholarship to Children of those Parents who are engaged in Unclean Occupations i.e. scavenging of dry latrines, tanning and flaying" during the year 2013-14.

(ii) An amount of Rs. 84.77 lacs was utilised for providing training to 120 Scheduled Castes Students in Type and Shorthand in Pre-examination Training Centres during the year 2013-14.

(iii) During the year 2013-14 an amount of Rs. 16.54 lacs was utilised for 26 students for providing them hostel facilities in the Hostel for Denotified Tribes students in Jind.

(iv) An amount of Rs. 166.25 lacs was utilised to pay salaries and allowances to the staff of "Haryana Second Backward Classes Commission" during the year 2013-14.

(v) For the implementation of the aforesaid schemes, an amount of Rs. 2038.16 lacs (Rs. 2029.83 lacs Non Plan and Rs. 8.33 lacs Plan) was utilised during the year 2013-14 to pay salary and allowances to the staff posted at Head Quarter, Districts and Tehsil Level.

3. This Administrative Report describes the schemes of the Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department for the year 2013-2014. The annexed report depicts the position in detail. While the State Govt. has initiated several schemes for socio-economic empowerment of Scheduled Castes & Backward Classes, persistent efforts are required to bring them at par with others. This Department will address it self to this task with greater determination in the coming year.

4. This Review of the Report may be published in the Haryana Government Gazette and its copies of the Report be sent to the Govt. of India and other concerned quarters.

KUMAR SUNIL GULATI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department.

Chandigarh:
The 30th July, 2015.

53743—C.S.—H.G.P., Chd.